संघ लोक सेवा आयोग

परीक्षा नोटिस सं. 13/2012-जीईओएल **दिनांक 15.09.2012**

(आवेदन प्रपत्र भरने की अंतिम तारीख 15.10.2012)

भू-विज्ञानी परीक्षा, 2012

(आयोग की वेबसाइट : www.upsc.gov.in)

संख्या 4/1/2012 प-I -(ख) - भारत के राजपत्र दिनांक **15 सितम्बर, 2012** में खान मंत्रालय द्वारा प्रकाशित नियमों के अनुसार नीचे पैरा-2 में उल्लिखित पदों की भर्ती के लिए संघ लोक सेवा आयोग द्वारा **01 दिसम्बर, 2012** से एक प्रतियोगिता परीक्षा निम्नलिखित केन्द्रों पर आयोजित की जाएगी :

अहमदाबाद	जयपुर
इलाहाबाद	जम्मू
बंगलौर	कोलकाता
भोपाल	लखनऊ
चण्डीगढ़	मुम्बई
चेन्नई	पटना
कटक	शिलांग
दिल्ली	शिमला
दिसपुर	तिरुवनंतपुरम
हैदराबाद	

आयोग यदि चाहे तो उक्त परीक्षा के उपर्युक्त केन्द्रों तथा परीक्षा की तिथि में परिवर्तन कर सकता है. आवेदक यह नोट करें कि चेन्नई, दिल्ली, दिसपुर, कोलकाता और अहमदाबाद केन्द्रों के सिवाय प्रत्येक केन्द्र पर आवंटित उम्मीदवारों की संख्या की अधिकतम सीमा निर्धारित होगी. केन्द्रों का आवंटन "पहले आवेदन करो पहले आवंटन पाओ" पर आधारित होगा तथा यदि किसी विशेष केन्द्र की क्षमता पूरी हो जाती है तब वहां किसी आवेदक को कोई केन्द्र आवंटित नहीं किया जाएगा. जिन आवेदकों को निर्धारित अधिकतम सीमा की वजह से अपनी पसंद का केन्द्र नहीं मिलता है तब उन्हें शेष केन्द्रों में से एक केन्द्र का चयन करना होगा. अतएव आवेदकों को यह सलाह दी जाती है कि वे शीघ्र आवेदन करें जिससे उन्हें अपनी पसंद का केन्द्र मिले.

ध्यान दें : उपर्युक्त प्रावधान के बावजूद स्थिति के अनुसार आयोग के पास अपने विवेकानुसार केन्द्रों में परिवर्तन करने का अधिकार सुरक्षित है.

जिन उम्मीदवारों को उक्त परीक्षा में प्रवेश दिया जाता है उन्हें समय-सारणी तथा परीक्षा स्थल (स्थलों) की जानकारी दे दी जायेगी.

उम्मीदवारों को ध्यान रखना चाहिए कि केन्द्र में परिवर्तन से सम्बद्ध अनुरोध को सामान्यतः स्वीकार नहीं किया जाएगा.

2. (क) इस परीक्षा के परिणाम के आधार पर जिन सेवाओं के लिए भर्ती की जानी है तथा इन विभिन्न पदों के लिए रिक्तियों की अनुमानित संख्या नीचे दी गयी है :

वर्ग-I : (भारतीय भू-विज्ञान सर्वेक्षण, खान मंत्रालय के पद)

(1) भू-विज्ञानी ग्रुप "क" 300
(2) सहायक भू-विज्ञानी ग्रेड-I ग्रुप 'ख' 67

वर्ग-II : (केन्द्रीय भू-जल बोर्ड, जल संसाधन मंत्रालय के पद)

(1) कनिष्ठ जल भू-विज्ञानी 03
(वैज्ञानिक ख) ग्रुप 'क'
(2) सहायक जल भू-विज्ञानी, ग्रुप 'ख' 12

टिप्पणी : भू-विज्ञानी ग्रुप "क" के 17 पद तथा सहायक भू-विज्ञानी ग्रेड-I ग्रुप 'ख' के 3 पद शारीरिक रूप से अक्षम अभ्यर्थियों, जो कि श्रवण बाधित श्रेणी के अन्तर्गत आते हैं, हेतु आरक्षित हैं.

कनिष्ठ जल भू-विज्ञानी का 01 पद शारीरिक रूप से अक्षम अभ्यर्थियों, जो कि श्रवण बाधित श्रेणी के अन्तर्गत आते हैं, हेतु आरक्षित हैं.

उपर्युक्त रिक्तियों की संख्या में परिवर्तन किया जा सकता है.

प्रारम्भ में नियुक्तियां अस्थायी आधार पर की जाएंगी. सरकार द्वारा निर्धारित रीति से अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, अन्य पिछड़ी श्रेणियों तथा शारीरिक रूप से अक्षम श्रेणियों के उम्मीदवारों के लिए रिक्तियों का आरक्षण किया जाएगा.

किसी भी उम्मीदवार को समुदाय संबंधी आरक्षण का लाभ, उसकी जाति को केन्द्र सरकार द्वारा जारी आरक्षित समुदाय संबंधी सूची में शामिल किए जाने पर ही मिलेगा. यदि कोई उम्मीदवार भू-विज्ञानी परीक्षा के अपने प्रपत्र में यह उल्लेख करता है कि वह सामान्य श्रेणी से संबंधित है लेकिन कालांतर में अपनी श्रेणी को आरक्षित सूची की श्रेणी में तब्दील करने के लिए आयोग को लिखता है, तो आयोग द्वारा ऐसे अनुरोध को किसी भी हालत में स्वीकार नहीं किया जाएगा.

जबकि उपर्युक्त सिद्धांत का सामान्य रूप से पालन किया जाएगा, फिर भी कुछ ऐसे मामले हो सकते हैं, जिनमें किसी समुदाय विशेष को आरक्षित समुदायों की किसी भी सूची में शामिल करने के संबंध में सरकारी अधिसूचना जारी किए जाने और उम्मीदवार द्वारा आवेदन करने की तारीख के समय के बीच थोड़ा बहुत अंतर (अर्थात 2-3 महीने) हुआ हो, ऐसे मामलों में, समुदाय को सामान्य से आरक्षित समुदाय में परिवर्तित करने संबंधी अनुरोध पर आयोग द्वारा मैरिट के आधार पर विचार किया जाएगा.

आवेदन पत्र प्राप्त करने की निर्धारित अंतिम तारीख उम्मीदवारों के अन्य पिछड़ा वर्ग की स्थिति (क्रीमीलेयर सहित) के निर्धारण की तारीख मानी जाएगी.

2. (ख) उम्मीदवार उपर्युक्त पैरा-2 (क) में उल्लिखित वर्गों में से किसी एक अथवा दोनों के लिए परीक्षा में प्रवेश पाने के लिए आवेदन कर सकता है. एक बार आवेदन प्रपत्र भेजे जाने के बाद किसी प्रकार के परिवर्तन की अनुमति नहीं दी जाएगी. यदि कोई उम्मीदवार दोनों वर्गों के लिए परीक्षा में प्रवेश पाना चाहता है तो भी उसे एक ही आवेदन प्रपत्र भेजने की आवश्यकता है. नीचे पैरा 4 में उल्लिखित शुल्क भी उसे केवल एक ही बार देना होगा. उसे प्रत्येक वर्ग के लिए जिसके लिए वह आवेदन कर रहा है, अलग-अलग शुल्क नहीं देना होगा.

उम्मीदवार नियमों की शर्तों के अनुसार पदों के जिन वर्गों के लिए पात्र हैं, उनमें से किसी एक के लिए या दोनों के लिए भाग ले सकता है. परीक्षा के लिखित भाग के परिणाम के आधार पर जो उम्मीदवार पदों के दोनों वर्गों में अर्हता प्राप्त कर लेता है तो उसे विस्तृत आवेदन प्रपत्र में इस बात का स्पष्ट रूप से उल्लेख करना होगा कि वरीयताक्रम के अनुसार पदों के किन वर्गों के लिए उसके नाम पर विचार किया जाए जिससे कि नियुक्ति करते समय योग्यताक्रम में उसके रैंक को ध्यान में रखते हुए उसकी वरीयता पर यथोचित विचार किया जा सके.

विशेष ध्यान : (1) उम्मीदवार द्वारा विस्तृत आवेदन प्रपत्र पर दिए गए वरीयताक्रम में परिवर्धन/परिवर्तन के किसी भी अनुरोध पर आयोग द्वारा विचार नहीं किया जाएगा.

विशेष ध्यान : (2) पदों के दोनों वर्गों के लिए भाग लेने वाले उम्मीदवारों को पदों का आबंटन उनकी योग्यता स्थिति, दिए गए वरीयताक्रम और रिक्तियों की संख्या के अनुसार किया जाएगा.

3. पात्रता की शर्तें :

(I) राष्ट्रीयता :

उम्मीदवार को या तो :-

(क) भारत का नागरिक होना चाहिए, या

(ख) नेपाल की प्रजा, या

(ग) भूटान की प्रजा, या

(घ) ऐसा तिब्बती शरणार्थी जो भारत में स्थायी रूप से रहने की इच्छा से पहली जनवरी, 1962 से पहले भारत आ गया हो, या

(ङ) कोई भारतीय मूल का व्यक्ति जो भारत में स्थायी रूप से रहने की इच्छा से पाकिस्तान, बर्मा, श्रीलंका, पूर्वी अफ्रीकी देशों कीनिया, उगांडा, संयुक्त गणराज्य तंजानिया, जांबिया, मलावी, जैरे और इथियोपिया अथवा वियतनाम से प्रव्रजन कर आया हो. परन्तु उपरोक्त (ख), (ग), (घ) और (ङ) वर्गों के अंतर्गत आने वाले उम्मीदवार के पास भारत सरकार द्वारा जारी किया गया पात्रता (एलिजीबिलटी) प्रमाणपत्र होना चाहिए. जिस उम्मीदवार के मामले में पात्रता प्रमाण-पत्र आवश्यक हो उसे परीक्षा में प्रवेश दिया जा सकता है किन्तु उसको भारत सरकार द्वारा उसके संबंध में पात्रता प्रमाण-पत्र जारी कर दिये जाने के बाद ही नियुक्ति प्रस्ताव भेजा जा सकता है.

(II) आयु-सीमाएं : इस परीक्षा के लिए उम्मीदवार ने निम्नानुसार आयु संबंधी मानदण्ड प्राप्त कर लिए हों :-

(क) (i) **भारतीय भू-सर्वेक्षण, खान मंत्रालय में भू-विज्ञानी (ग्रुप क) और सहायक भू-विज्ञानी ग्रेड-I (ग्रुप ख) के लिए :** उम्मीदवार पहली अगस्त, 2012 को 21 वर्ष का हो चुका हो किन्तु 32 वर्ष का न हुआ हो अर्थात उसका जन्म 2 अगस्त, 1980 के पहले तथा पहली अगस्त, 1991 के बाद न हुआ हो.

(ii) **केन्द्रीय भू-जल बोर्ड, जल संसाधन मंत्रालय में**

क्रमशः

महत्त्वपूर्ण

1. परीक्षा के लिए उम्मीदवार अपनी पात्रता सुनिश्चित कर लें :

परीक्षा के लिए आवेदन करने वाले उम्मीदवारों को सुनिश्चित करना चाहिए कि वे परीक्षा में प्रवेश हेतु सभी पात्रता शर्तों को पूरा करते हैं. परीक्षा के सभी स्तरों पर उनका प्रवेश पूर्णतः **अनंतिम** होगा बशर्ते कि वे निर्धारित पात्रता शर्तों को पूरा करते हों.

उम्मीदवार को मात्र प्रवेश पत्र जारी किए जाने का अर्थ यह नहीं होगा कि उनकी उम्मीदवारी आयोग द्वारा अंतिम रूप से सुनिश्चित कर दी गई है.

उम्मीदवार द्वारा साक्षात्कार/व्यक्तित्व परीक्षण में अर्हता प्राप्त करने के बाद ही, आयोग मूल प्रमाण पत्रों के संदर्भ में पात्रता शर्तों का सत्यापन करता है.

2. आवेदन कैसे करें :

उम्मीदवार **www.upsconline.nic.in** वेबसाइट का प्रयोग कर ऑनलाइन आवेदन करें. ऑनलाइन आवेदन भरने के लिए संक्षेप में अनुदेश परिशिष्ट-II में दिए गए हैं. विस्तृत अनुदेश उपर्युक्त वेबसाइट में उपलब्ध हैं.

3. आवेदन जमा करने की अंतिम तारीख :

ऑनलाइन आवेदन प्रपत्र **15 अक्तूबर 2012, रात्रि 11.59 बजे** तक भरे जा सकते हैं जिसके पश्चात लिंक निरूपयोज्य होगा.

4. परीक्षा आरंभ होने के दो सप्ताह पूर्व पात्र उम्मीदवारों को ई-प्रवेश प्रमाणपत्र जारी किए जाएंगे. ई-प्रवेश प्रमाण पत्र संघ लोक सेवा आयोग की वेबसाइट www.upsc.gov.in पर उपलब्ध होगा जिसे उम्मीदवारों द्वारा डाउनलोड किया जा सकता है. डाक द्वारा कोई प्रवेश प्रमाण पत्र नहीं भेजा जाएगा. ऑनलाइन आवेदन प्रपत्र भरते समय सभी आवेदकों को वैध और सक्रिय ई-मेल आईडी प्रस्तुत करना अपेक्षित है क्योंकि आयोग परीक्षा प्रक्रिया के विभिन्न चरणों में उनसे संपर्क करने के लिए इलेक्ट्रॉनिक माध्यम का इस्तेमाल कर सकता है.

5. विशेष अनुदेश :

उम्मीदवारों को "परम्परागत प्रश्न पत्रों के संबंध में उम्मीदवारों के लिए विशेष अनुदेशों" (परिशिष्ट-III) को सावधानी पूर्वक पढ़ने की सलाह दी जाती है.

6. उम्मीदवारों के मार्गदर्शन हेतु सुविधा काउन्टर :

उम्मीदवार अपने आवेदन प्रपत्र, उम्मीदवारी आदि से संबंधित किसी प्रकार के मार्गदर्शन/सूचना/स्पष्टीकरण के लिए कार्यदिवसों में 10.00 बजे और 5.00 बजे के मध्य तक आयोग परिसर के गेट 'सी' के पास संघ लोक सेवा आयोग के सुविधा काउंटर पर व्यक्तिगत रूप से अथवा **दूरभाष सं. 011-23385271/011-23381125/011-23098543** पर संपर्क कर सकते हैं.

7. मोबाइल फोन प्रतिबंधित :

(क) जहां परीक्षा आयोजित की जा रही है, उस परिसर के अंदर मोबाईल फोन, पेजर्स अथवा अन्य संचार यंत्रों की अनुमति नहीं है. इन अनुदेशों का कोई अतिलंघन होने पर भविष्य में आयोजित की जाने वाली परीक्षाओं में प्रतिबंध सहित अनुशासनिक कार्रवाई की जाएगी.

(ख) उम्मीदवारों को उनके हित में सलाह दी जाती है कि परीक्षा स्थल पर मोबाईल फोन/पेजर्स अथवा अन्य कीमती/मूल्यवान वस्तुओं सहित उक्त प्रतिबंधित वस्तुएं साथ नहीं लाएं क्योंकि उनकी सुरक्षा सुनिश्चित नहीं की जा सकती है. इस संबंध में हुए किसी प्रकार के नुकसान के लिए आयोग जिम्मेवार नहीं होगा.

उम्मीदवारों को केवल ऑनलाइन मोड से आवेदन करने की जरूरत है. किसी दूसरे मोड द्वारा आवेदन करने की अनुमति नहीं है.

कनिष्ठ जल भू-वैज्ञानिक (वैज्ञानिक बी) (ग्रुप क) के लिए : उम्मीदवार पहली अगस्त, 2012 को 21 वर्ष का हो चुका हो, किन्तु 35 वर्ष का न हुआ हो अर्थात् उसका जन्म 2 अगस्त, 1977 के पहले तथा पहली अगस्त, 1991 के बाद न हुआ हो.

(iii) **केन्द्रीय भू-जल बोर्ड, जल संसाधन मंत्रालय, में सहायक जल भू-वैज्ञानिक (ग्रुप ख) के लिए :** उम्मीदवार पहली अगस्त, 2012 को 21 वर्ष का हो चुका हो किन्तु 30 वर्ष का न हुआ हो अर्थात् उसका जन्म 2 अगस्त, 1982 के पहले तथा पहली अगस्त, 1991 के बाद न हुआ हो.

कृपया ध्यान दें : उम्मीदवार यह सुनिश्चित करें कि वे उपर्युक्त प्रत्येक पद, जिसके लिए आवेदन कर रहे हैं, के लिए आयु की पात्रता संबंधी मानदण्ड पूरे करते हैं.

(ख) यदि निम्नलिखित वर्गों के सरकारी कर्मचारी नीचे के कालम 1 में उल्लिखित किसी विभाग में नियोजित हैं और यदि वे कालम 2 में उल्लिखित समरूपी पद (पदों) हेतु आवेदन करते हैं, उनके मामले में ऊपरी आयु सीमा में अधिकतम 7 वर्ष की छूट दी जाएगी :-

कालम-1	कालम-2
वर्ग-I भारतीय भू-वैज्ञानिक सर्वेक्षण, खनन मंत्रालय	(1) भू-विज्ञानी, ग्रुप 'क' (2) सहायक भू-विज्ञानी ग्रेड-I ग्रुप 'ख'
वर्ग-II केन्द्रीय भू-जल बोर्ड, जल संसाधन मंत्रालय	(1) कनिष्ठ जल भू-विज्ञानी (वैज्ञानिक 'ख'), ग्रुप 'क' (2) सहायक जल भू-विज्ञानी, ग्रुप 'ख'

(ग) निम्नलिखित स्थितियों में ऊपर निर्धारित ऊपरी आयु सीमा में और छूट दी जाएगी :-

(i) यदि उम्मीदवार किसी अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति का हो तो अधिक से अधिक 5 वर्ष तक.

(ii) अन्य पिछड़े वर्गों से संबंधित ऐसे उम्मीदवारों के मामले में अधिकतम तीन वर्ष तक, जो ऐसे उम्मीदवारों के लिए लागू आरक्षण प्राप्त करने के हकदार हैं.

(iii) ऐसे उम्मीदवारों के मामले में, जिन्होंने 01 जनवरी, 1980 से 31 दिसम्बर, 1989 तक की अवधि के दौरान साधारणतया जम्मू और कश्मीर राज्य में अधिवास किया हो, अधिकतम 5 वर्ष तक.

(iv) किसी दूसरे देश के साथ संघर्ष में या किसी अशांतिग्रस्त क्षेत्र में फौजी कार्यवाही के दौरान विकलांग होने के फलस्वरूप सेवा से निर्मुक्त किए गए रक्षा कार्मिकों को अधिक से अधिक 3 वर्ष तक.

(v) जिन भूतपूर्व सैनिकों (कमीशन प्राप्त अधिकारियों तथा आपातकालीन कमीशन प्राप्त अधिकारियों/अल्पकालिक सेवा कमीशन प्राप्त अधिकारियों सहित) ने पहली अगस्त, 2012 को कम से कम 5 वर्ष की सैनिक सेवा की हो और जो (i) कदाचार या अक्षमता के आधार पर बर्खास्त न होकर अन्य कारणों से कार्यकाल के समापन पर कार्यमुक्त हुए हैं, (इनमें वे भी सम्मिलित हैं जिनका कार्यकाल पहली अगस्त, 2012 से एक वर्ष के अंदर पूरा होना है) या (ii) सैनिक सेवा से हुई शारीरिक अपंगता, या (iii) अक्षमता के कारण कार्यमुक्त हुए हैं, उनके मामले में अधिक से अधिक 5 वर्ष तक.

(vi) आपातकालीन कमीशन प्राप्त अधिकारियों/अल्पकालीन सेवा के कमीशन प्राप्त अधिकारियों के मामलों में जिन्होंने सैनिक सेवा के 5 वर्ष की सेवा की प्रारंभिक अवधि पहली अगस्त, 2012 तक पूरी कर ली है और जिनका कार्यकाल 5 वर्ष से आगे भी बढ़ाया गया है तथा जिनके मामले में रक्षा मंत्रालय एक प्रमाणपत्र जारी करता है कि वे सिविल रोजगार के लिए आवेदन कर सकते हैं और चयन होने पर नियुक्ति प्रस्ताव प्राप्त करने की तारीख से तीन माह के नोटिस पर उन्हें कार्यभार से मुक्त किया जाएगा, अधिकतम 5 वर्ष तक.

(vii) नेत्रहीन, मूक-बधिर तथा विकलांग व्यक्तियों के लिए अधिकतम 10 वर्षों तक.

टिप्पणी-I : अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति व अन्य पिछड़े वर्गों से संबंधित वे उम्मीदवार, जो उपर्युक्त पैरा 3 (II) (ग) के किन्हीं अन्य खंडों अर्थात्, जो भूतपूर्व सैनिकों, जम्मू तथा कश्मीर राज्य में अधिवास करने वाले, शारीरिक रूप से विकलांग व्यक्तियों की श्रेणी के अंतर्गत आते हैं, दोनों श्रेणियों के अंतर्गत दी जाने वाली संचयी आयु सीमा-छूट प्राप्त करने के पात्र होंगे.

टिप्पणी-II : भूतपूर्व सैनिक शब्द उन व्यक्तियों पर लागू होगा जिन्हें समय-समय पर यथासंशोधित भूतपूर्व सैनिक (सिविल सेवा और पद में पुनः रोजगार) नियम, 1979 के अधीन भूतपूर्व सैनिक के रूप में परिभाषित किया जाता है.

टिप्पणी-III : आपातकालीन कमीशन प्राप्त अधिकारियों/अल्पकालिक सेवा के कमीशन प्राप्त अधिकारियों सहित वे भूतपूर्व सैनिक तथा कमीशन अधिकारी, जो स्वयं के अनुरोध पर सेवामुक्त हुए हैं, उन्हें उपर्युक्त पैरा 3(II) (ग) (v) तथा (vi) के अधीन आयु सीमा में छूट नहीं दी जायेगी.

टिप्पणी-IV : उपर्युक्त पैरा 3(II) (ग) (vii) के अंतर्गत आयु में छूट के उपबंधों के बावजूद, शारीरिक रूप से विकलांग उम्मीदवार की नियुक्ति हेतु पात्रता पर तभी विचार किया जा सकता है जब वह (सरकार या नियोक्ता प्राधिकारी, जैसा भी मामला हो, द्वारा निर्धारित शारीरिक परीक्षण के बाद) सरकार द्वारा शारीरिक रूप से विकलांग उम्मीदवारों को आवंटित संबंधित सेवाओं/पदों के लिए निर्धारित शारीरिक एवं चिकित्सा मानकों की अपेक्षाओं को पूरा करता हो.

उपर्युक्त व्यवस्था को छोड़कर निर्धारित आयु-सीमा में किसी भी स्थिति में छूट नहीं दी जायेगी.

आयोग जन्म की वह तिथि स्वीकार करता है जो मैट्रिकुलेशन, माध्यमिक विद्यालय छोड़ने के प्रमाण पत्र या किसी भारतीय विश्वविद्यालय द्वारा मैट्रिकुलेशन के समकक्ष माने गए प्रमाणपत्र या किसी विश्वविद्यालय द्वारा अनुरक्षित मैट्रिकुलेटों के रजिस्टर में दर्ज की गई हो और वह उद्धरण विश्वविद्यालय के समुचित प्राधिकारी द्वारा प्रमाणित हो या उच्चतर माध्यमिक परीक्षा या उसकी समकक्ष परीक्षा प्रमाणपत्र में दर्ज हो. ये प्रमाणपत्र परीक्षा के लिखित भाग के परिणाम की घोषणा के बाद प्रस्तुत करने हैं.

आयु के संबंध में अन्य दस्तावेज जैसे जन्म कुंडली, शपथपत्र, नगर निगम से और सेवा अभिलेख से प्राप्त जन्म सम्बन्धी उद्धरण तथा अन्य ऐसे ही प्रमाण स्वीकार नहीं किए जाएंगे. अनुदेशों के इस भाग में आये हुए ''मैट्रिकुलेशन/उच्चतर माध्यमिक परीक्षा प्रमाणपत्र'' वाक्यांश के अंतर्गत उपयुक्त वैकल्पिक प्रमाणपत्र सम्मिलित हैं.

टिप्पणी-1 : उम्मीदवारों को ध्यान रखना चाहिए कि आयोग जन्म की उसी तिथि को स्वीकार करेगा जो कि आवेदन-प्रपत्र प्रस्तुत करने की तिथि को मैट्रिकुलेशन/उच्चतर माध्यमिक परीक्षा प्रमाणपत्र या समकक्ष परीक्षा के प्रमाणपत्र में दर्ज है और इसके बाद उसमें परिवर्तन के किसी अनुरोध पर न तो विचार किया जाएगा और न ही उसे स्वीकार किया जायेगा.

टिप्पणी-2 : उम्मीदवार यह भी ध्यान रखें कि उनके द्वारा किसी परीक्षा में प्रवेश के लिए जन्म की तिथि एक बार लिख भेजने और आयोग द्वारा उसे अपने अभिलेख में दर्ज कर लेने के बाद उसमें बाद में (या बाद की किसी अन्य परीक्षा में) किसी भी आधार पर परिवर्तन करने की अनुमति नहीं दी जायेगी.

टिप्पणी-3 : उम्मीदवारों को ऑनलाइन आवेदन-प्रपत्र के संबंधित कालम में जन्म तिथि भरते समय उचित सावधानी बरतनी चाहिए. यदि बाद की किसी अवस्था में, जांच के दौरान उनके द्वारा भरी गई जन्म तिथि में उनके मैट्रिक या समकक्ष परीक्षा के प्रमाण-पत्र में दी गई जन्म तिथि से कोई भिन्नता पाई गई तो आयोग द्वारा उनके विरुद्ध नियम के अधीन अनुशासनात्मक कार्रवाई की जाएगी.

विशेष ध्यान दें :

(1) जिस उम्मीदवार को उपर्युक्त पैरा 3 (II) (ख) में उल्लिखित आयु संबंधी छूट देकर परीक्षा में प्रवेश दिया गया है उसकी उम्मीदवारी उस स्थिति में रद्द कर दी जाएगी यदि आवेदन प्रपत्र भेजने के बाद वह परीक्षा से पहले या परीक्षा देने के बाद सेवा से त्याग-पत्र दे देता है या विभाग/कार्यालय द्वारा उसकी सेवाएं समाप्त कर दी जाती हैं. किन्तु आवेदन प्रपत्र के बाद यदि उसकी सेवा या पद से छटनी हो जाती है तो वह पात्र बना रहेगा.

(2) जो उम्मीदवार अपने विभाग को अपना आवेदन प्रपत्र प्रस्तुत कर देने के बाद किसी अन्य विभाग/कार्यालय को स्थानांतरित हो जाता है वह उस पद (पदों) हेतु विभागीय आयु संबंधी रियायत लेकर प्रतियोगिता में सम्मिलित होने का पात्र रहेगा जिसका पात्र वह स्थानान्तरण न होने पर रहता बशर्ते कि उसका आवेदन प्रपत्र विधिवत् अनुशंसा सहित उसके मूल विभाग द्वारा अग्रेषित कर दिया गया हो.

(III) न्यूनतम शैक्षिक योग्यता :

(i) **भारतीय भू-वैज्ञानिक सर्वेक्षण में भू-विज्ञानी ग्रुप 'क' तथा सहायक भू-विज्ञानी ग्रेड-I ग्रुप 'ख' हेतु**

(क) भारत में केन्द्र अथवा राज्य विधानमंडल के किसी कानून द्वारा संस्थापित विश्वविद्यालय अथवा संसद के किसी कानून द्वारा स्थापित शैक्षिक संस्था अथवा विश्वविद्यालय अनुदान आयोग अधिनियम, 1956 (1956 का 3) की धारा 3 के तहत मानद विश्वविद्यालय के रूप में घोषित किसी शैक्षिक संस्था से भूवैज्ञानिक विज्ञान या भूविज्ञान या अनुप्रयुक्त भूविज्ञान या भू अन्वेषण या खनिज अन्वेषण या इंजीनियरी भूविज्ञान या समुद्री भूविज्ञान या पृथ्वी विज्ञान और संसाधन प्रबंधन या सागर विज्ञान और तटीय क्षेत्र अध्ययन या पेट्रोलियम भूविज्ञान या भूरसायन में मास्टर डिग्री.

नोट : संबद्ध विषय में मास्टर डिग्री का तात्पर्य उपर्युक्त विश्वविद्यालय या संस्था से स्नातक के बाद स्नातकोत्तर डिग्री या स्नातकोत्तर डिप्लोमा से है जो न्यूनतम दो वर्षों की अवधि का हो चाहे यह समेकित पाठ्यक्रम हो या कोई अन्य पाठ्यक्रम हो.

(ख) जो उम्मीदवार इस पैराग्राफ के खंड (क) में विनिर्दिष्ट न्यूनतम शैक्षिक योग्यता की अंतिम परीक्षा में सम्मिलित हुए हैं जिसे पास करने पर वे संगत वर्ष की परीक्षा में सम्मिलित होने के लिए पात्र हो जाएंगे लेकिन उन्हें परिणाम की सूचना नहीं दी गयी है, भी परीक्षा में प्रवेश के लिए आवेदन कर सकते हैं और ऐसी स्थिति में संगत वर्ष की परीक्षा में उनका प्रवेश अनंतिम और इस पैराग्राफ के खंड (क) में विनिर्दिष्ट न्यूनतम शैक्षिक योग्यता प्राप्त करने के अध्याधीन होगा.

(ग) एक उम्मीदवार जो अन्यथा अर्हक है लेकिन उसके पास इस पेरोग्राफ के खंड (क) में विर्निदिष्ट मास्टर डिग्री किसी विदेशी विश्वविद्यालय की हो जिसे सरकार ने स्वीकृति प्रदान की हो, को भी आयोग द्वारा इस परीक्षा में प्रवेश दिया जा सकता है.

(ii) **केन्द्रीय भूजल बोर्ड में कनिष्ठ जल भूविज्ञानी (वैज्ञानिक 'ख') ग्रुप 'क' एवं सहायक जल भूविज्ञानी ग्रुप 'ख' हेतु**

(क) भारत के केन्द्र या राज्य विभाग मंडल के अधिनियम द्वारा निगमित किसी विश्वविद्यालय की या संसद के अधिनियम द्वारा स्थापित या विश्वविद्यालय अनुदान आयोग अधिनियम, 1956 की धारा 3 के अधीन विश्वविद्यालय के रूप में मान्य घोषित किसी अन्य शिक्षा संस्थान से भू-विज्ञान या प्रयुक्त भू-विज्ञान या समुद्र भू-विज्ञान में ''मास्टर'' डिग्री या

(ख) किसी मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालय से जल-भू-विज्ञान में मास्टर डिग्री

नोट : (i) क और (ii) क में कॉमन योग्यता रखने वाले उम्मीदवार दोनों वर्गों के लिये आवेदन कर सकते हैं.

टिप्पणी-1 : यदि कोई उम्मीदवार ऐसी परीक्षा में बैठ चुका हो जिसे उत्तीर्ण कर लेने पर वह शैक्षिक दृष्टि से इस परीक्षा में बैठने का पात्र हो जाता है, पर अभी उसे परीक्षा के परिणाम की सूचना न मिली हो तो वह इस परीक्षा में प्रवेश पाने के लिए आवेदन कर सकता है. जो उम्मीदवार इस प्रकार की अर्हक परीक्षा में बैठना चाहता हो वह भी आवेदन कर सकता है. ऐसे उम्मीदवारों को यदि अन्यथा पात्र होंगे, तो उन्हें परीक्षा में बैठने दिया जाएगा परन्तु परीक्षा में बैठने की यह अनुमति अनन्तिम मानी जाएगी और अर्हक परीक्षा उत्तीर्ण करने का प्रमाण प्रस्तुत न करने की स्थिति में उनका प्रवेश रद्द कर दिया जाएगा. उक्त प्रमाण विस्तृत आवेदन प्रपत्र के, जो उक्त परीक्षा के लिखित भाग के परिणाम के आधार पर अर्हता प्राप्त करने वाले उम्मीदवारों द्वारा आयोग को प्रस्तुत करने पड़ेंगे, साथ प्रस्तुत करना होगा.

टिप्पणी-2 : विशेष परिस्थितियों में संघ लोक सेवा आयोग ऐसे किसी उम्मीदवार को भी शैक्षिक दृष्टि से योग्य मान सकता है जिसके पास इस नियम में विहित अर्हताओं में से कोई अर्हता न हो, बशर्ते कि उम्मीदवार ने किसी संस्था द्वारा ली गई कोई ऐसी परीक्षा पास कर ली हो जिसका स्तर आयोग के मतानुसार ऐसा हो कि उसके आधार पर उम्मीदवार का परीक्षा में प्रवेश उचित ठहर सके.

टिप्पणी-3 : जिस उम्मीदवार ने अन्यथा अर्हता प्राप्त कर ली है किन्तु उसके पास विदेशी विश्वविद्यालय की ऐसी डिग्री है जो सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त नहीं है, वह भी आयोग को आवेदन कर सकता है और उसे आयोग की विविक्षा पर परीक्षा में प्रवेश दिया जा सकता है.

(IV) शारीरिक मानक :

उम्मीदवार को भू-विज्ञानी परीक्षा, 2012 के लिए भारत के राजपत्र दिनांक 15 सितम्बर, 2012 में यथा प्रकाशित भू-विज्ञानी परीक्षा, 2012 की नियमावली के **परिशिष्ट-2** में दिये गये शारीरिक मानकों के अनुरूप शारीरिक रूप से स्वस्थ होना चाहिए.

4. शुल्क :

उम्मीदवारों को **रु. 200/- (केवल दो सौ रुपये)** फीस के रूप में (सभी महिला/अ.जा./अ.ज.जा./ शारीरिक रूप से विकलांग उम्मीदवारों को छोड़कर जिन्हें कोई शुल्क नहीं देना होगा) या तो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की किसी भी शाखा में नकद जमा करके या स्टेट बैंक ऑफ इंडिया/स्टेट बैंक ऑफ बीकानेर एंड जयपुर/स्टेट बैंक ऑफ हैदराबाद/ स्टेट बैंक ऑफ मैसूर/स्टेट बैंक ऑफ पटियाला/स्टेट बैंक ऑफ त्रावणकोर की नेट बैंकिग सेवा का उपयोग करके या वीजा/मास्टर क्रेडिट/डेबिट कार्ड का उपयोग करके भुगतान करना होगा.

टिप्पणी-1: उम्मीदवारों को नोट करना चाहिए कि शुल्क का भुगतान ऊपर निर्धारित माध्यम से ही किया जा सकता है. किसी अन्य माध्यम से शुल्क का भुगतान न तो वैध है न स्वीकार्य है. निर्धारित माध्यम/शुल्क रहित आवेदन (शुल्क के भुगतान से छूट प्राप्त आवेदन को छोड़कर) एकदम अस्वीकृत कर दिए जाएंगे.

टिप्पणी-2: एक बार शुल्क अदा किए जाने पर वापस करने की किसी अनुरोध पर विचार नहीं किया जा सकता है और न ही किसी दूसरी परीक्षा या चयन के लिए आरक्षित रखा जा सकता है.

टिप्पणी-3 : जिन आवेदकों के मामले में बैंक से भुगतान संबंधी विवरण प्राप्त नहीं हुए हैं उन्हें अवास्तविक भुगतान मामला समझा जाएगा और उनके आवेदन पत्र तुरंत अस्वीकृत कर दिए जाएंगे. ऐसे सभी आवेदकों की सूची ऑनलाइन आवेदन पत्र प्रस्तुत करने के अंतिम दिन के बाद दो सप्ताह के भीतर आयोग की वेबसाइट पर उपलब्ध करा दी जाएगी. आवेदकों को अपने शुल्क भुगतान का प्रमाण ऐसी सूचना की तारीख से 10 दिनों के भीतर दस्ती अथवा स्पीड पोस्ट के जरिए आयोग को भेजना होगा. दस्तावेज के रूप में प्रमाण प्राप्त होने पर, शुल्क भुगतान के वास्तविक मामलों पर विचार किया जाएगा और उनके आवेदन पत्र स्वीकार कर लिए जाएंगे, बशर्ते वे पात्र हों.

सभी महिला उम्मीदवारों और अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों के उम्मीदवारों को शुल्क नहीं देना होगा. तथापि अन्य पिछड़ी श्रेणियों के उम्मीदवारों को शुल्क में कोई छूट नहीं है तथा उन्हें निर्धारित पूरे शुल्क का भुगतान करना होगा.

शारीरिक रूप से अक्षम व्यक्तियों को शुल्क के भुगतान से छूट है बशर्ते कि वे इन पदों के लिए चिकित्सा आरोग्यता (शारीरिक रूप से विकलांग व्यक्तियों को दी गई किसी अन्य विशेष छूट सहित) के मानकों के अनुसार इस परीक्षा के परिणाम के आधार पर भरे जाने वाले पदों पर नियुक्ति हेतु अन्यथा रूप से पात्र हों. आयु सीमा में छूट/शुल्क में छूट का दावा करने वाले शारीरिक रूप से विकलांग व्यक्ति को अपने विस्तृत आवेदन प्रपत्र के साथ अपने शारीरिक रूप से विकलांग होने के दावे के समर्थन में, सरकारी अस्पताल/चिकित्सा बोर्ड से प्राप्त प्रमाण-पत्र की प्रमाणित प्रति प्रस्तुत करनी होगी.

टिप्पणी : आयु सीमा में छूट/शुल्क में छूट के उपर्युक्त प्रावधान के बावजूद शारीरिक रूप से विकलांग उम्मीदवार को नियुक्ति हेतु तभी पात्र माना जाएगा जब वह (सरकार या नियुक्ति प्राधिकारी, जैसा भी मामला हो, द्वारा निर्धारित ऐसी किसी शारीरिक जांच के बाद) सरकार द्वारा शारीरिक रूप से विकलांग उम्मीदवार को आवंटित की जाने वाली संबंधित सेवाओं/पदों के लिए शारीरिक और चिकित्सा मानकों की अपेक्षाओं को पूरा करता हो.

टिप्पणी : जिन आवेदन प्रपत्रों के साथ निर्धारित शुल्क संलग्न नहीं होगा (शुल्क माफी के दावे को छोड़कर), उनको एकदम अस्वीकृत कर दिया जाएगा.

5. आवेदन कैसे करें :

(क) उम्मीदवारों को **www.upsconline. nic.in** लिंक का प्रयोग करते हुए ऑनलाइन आवेदन करना होगा. ऑनलाइन आवेदन भरने के लिए विस्तृत अनुदेश उपर्युक्त वेबसाइट पर उपलब्ध हैं.

(ख) आवेदकों को केवल एक ही आवेदन-पत्र प्रस्तुत करने का परामर्श दिया जाता है, तथापि, किसी अपरिहार्य परिस्थितिवश यदि वह एक से अधिक आवेदनपत्र प्रस्तुत करता/करती है, वह यह सुनिश्चित कर लें कि उच्च आरआईडी वाला आवेदनपत्र हर तरह अर्थात् आवेदक का विवरण, परीक्षा केन्द्र, फोटो, हस्ताक्षर, शुल्क आदि से पूर्ण है. एक से अधिक आवेदन पत्र भेजने वाले उम्मीदवार यह नोट कर लें कि केवल उच्च आरआईडी (रजिस्ट्रेशन आईडी) वाले आवेदनपत्र ही आयोग द्वारा स्वीकार किए जाएंगे और एक आरआईडी के लिए अदा किए गए शुल्क का समायोजन किसी अन्य आरआईडी के लिए नहीं किया जाएगा.

(ग) सभी उम्मीदवारों को चाहे वे पहले से सरकारी नौकरी में हों या सरकारी औद्योगिक उपक्रमों में हों या इसी प्रकार के अन्य संगठनों में हों या गैर-सरकारी संस्थाओं में नियुक्त हों.

जो व्यक्ति पहले से सरकारी नौकरी में स्थायी या अस्थायी हैसियत से काम कर रहें हों या किसी काम के लिए विशिष्ट रूप से नियुक्त कर्मचारी हों, जिसमें आकस्मिक या दैनिक दर पर नियुक्त व्यक्ति शामिल नहीं हैं, उनको या जो सार्वजनिक उद्यमों में सेवा कर रहे हैं, उनको लिखित रूप से अपने कार्यालय/विभाग के अध्यक्ष को सूचित करना है कि उन्होंने इस परीक्षा के लिए आवेदन किया है.

उम्मीदवारों को ध्यान रखना चाहिए कि यदि आयोग को उनके नियोक्ता से उनके उक्त परीक्षा के लिए आवेदन करने/परीक्षा में बैठने से सम्बद्ध अनुमति रोकते हुए कोई पत्र मिलता है तो उनका आवेदन प्रपत्र अस्वीकृत कर दिया जा सकता है/उनकी उम्मीदवारी रद्द कर दी जा सकती है.

टिप्पणी-I : उम्मीदवार को अपने ऑनलाइन आवेदन प्रपत्र में परीक्षा के लिए केन्द्र का नाम भरते समय सावधानी पूर्वक निर्णय लेना चाहिए.

यदि कोई उम्मीदवार आयोग द्वारा प्रेषित प्रवेश प्रमाण पत्र में दर्शाये गये केन्द्र से इतर केन्द्र में बैठता है तो उस उम्मीदवार के प्रश्नपत्रों का मूल्यांकन नहीं किया जायेगा तथा उसकी उम्मीदवारी रद्द की जा सकती है.

टिप्पणी II : अधूरे या गलत भरे आवेदन प्रपत्रों को एकदम अस्वीकृत कर दिया जायेगा, और किसी भी अवस्था में अस्वीकृति के संबंध में अभ्यावेदन या पत्र व्यवहार को स्वीकार नहीं किया जायेगा.

घ) उम्मीदवारों को अपने ऑनलाइन आवेदन प्रपत्रों की प्रिंट की प्रति अभी भेजने की आवश्यकता नहीं है. **परीक्षा में आवेदन करने वाले उम्मीदवार यह सुनिश्चित कर लें कि वे परीक्षा में प्रवेश पाने के लिये पात्रता की सभी शर्तें पूरी करते हैं. परीक्षा के उन सभी स्तरों, जिनके लिये आयोग ने उन्हें प्रवेश दिया है अर्थात लिखित परीक्षा तथा साक्षात्कार परीक्षण, में उनका प्रवेश पूर्णतः अनंतिम होगा तथा उनके निर्धारित पात्रता की शर्तों को पूरा करने पर आधारित होगा. यदि लिखित परीक्षा तथा साक्षात्कार परीक्षण के पहले या बाद में सत्यापन करने पर यह पता चलता है कि वे पात्रता की किन्हीं शर्तों को पूरा नहीं करते हैं तो आयोग द्वारा परीक्षा के लिये उनकी उम्मीदवारी रद्द कर दी जाएगी.**

उम्मीदवारों से अनुरोध है कि वे परीक्षा के लिखित भाग के परिणाम, जिसके मई/जून, 2013 में घोषित किए जाने की संभावना है, घोषित होने के बाद आयोग को जल्दी प्रस्तुत करने के लिए निम्नलिखित प्रलेखों की अनुप्रमाणित प्रतियां तैयार रखें.

1. आयु का प्रमाण-पत्र.
2. शैक्षिक योग्यता का प्रमाण-पत्र.
3. जहां लागू हो, वहां अजा, अजजा तथा अन्य पिछड़ी श्रेणी का होने का दावे के समर्थन में प्रमाण-पत्र.
4. जहां लागू हो, वहां आयु/शुल्क में छूट के दावे के समर्थन में प्रमाण-पत्र.
5. जहां लागू हो, वहां शारीरिक रूप से विकलांग होने के समर्थन में प्रमाण-पत्र.

परीक्षा के लिखित भाग के परिणाम की घोषणा के तत्काल बाद आयोग सफल उम्मीदवारों से इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से सूचित करेगा और उनसे ऑनलाइन विस्तृत आवेदन प्रपत्र प्रस्तुत करने के लिए कहा जाएगा. सफल उम्मीदवारों को उस समय उपर्युक्त प्रमाण पत्रों की अनुप्रमाणित प्रतियों के साथ इस विस्तृत आवेदन प्रपत्र को इसके प्रिंटआऊट के प्रत्येक पृष्ठ पर विधिवत हस्ताक्षर करके आयोग को भेजना होगा. साक्षात्कार के समय मूल प्रमाण पत्र प्रस्तुत करने होंगे. उम्मीदवारों को साक्षात्कार पत्र इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से जारी किए जाएंगे. यदि उनके द्वारा किये गये दावे सही नहीं पाये जाते हैं तो उनके खिलाफ आयोग द्वारा भारत के राजपत्र दिनांक 15 सितम्बर, 2012 में अधिसूचित भू-विज्ञानी परीक्षा, 2012 के नियमों के नियम 12 जो कि नीचे पुनः उद्धरित है के अनुसार अनुशासनिक कार्यवाही की जा सकती है.

जो उम्मीदवार निम्नांकित कदाचार का दोषी है या आयोग द्वारा दोषी घोषित हो चुका है :

(i) किसी प्रकार से अपनी उम्मीदवारी का समर्थन प्राप्त करना, या

(ii) किसी व्यक्ति के स्थान पर स्वयं प्रस्तुत होना, या

(iii) अपने स्थान पर किसी दूसरे व्यक्ति को प्रस्तुत करना, या

(iv) जाली प्रलेख या फेर-बदल किए गए प्रलेख प्रस्तुत करना, या

(v) अशुद्ध या असत्य वक्तव्य देना, या महत्वपूर्ण सूचना को छिपा कर रखना, या

(vi) उक्त परीक्षा के लिए अपनी उम्मीदवारी के संबंध में कोई अनियमित या अनुचित साधन अपनाना, या

(vii) परीक्षा के समय अनुचित तरीके अपनाना, या

(viii) उत्तर पुस्तिका(ओं) पर असंगत बातें लिखना जो अश्लील भाषा में या अभद्र आशय की हों, या

(ix) परीक्षा भवन में और किसी प्रकार का दुर्व्यवहार करना, या

(x) परीक्षा चलाने के लिए आयोग द्वारा नियुक्त कर्मचारियों को परेशान करना या अन्य प्रकार से शारीरिक क्षति पहुंचाई हो, या

(xi) परीक्षा के दौरान मोबाइल फोन/पेजर या किसी अन्य प्रकार का इलैक्ट्रानिक उपकरण या यंत्र अथवा संचार यंत्र के रूप में प्रयोग किए जा सकने वाला कोई अन्य उपकरण प्रयोग करते हुए या अपने पास रखे पाया गया हो, या

(xii) उम्मीदवारों को परीक्षा देने की अनुमति देते हुए प्रेषित प्रवेश प्रमाणपत्र के साथ जारी किसी अनुदेश का उल्लंघन करना, या

(xiii) ऊपर खंडों में उल्लिखित सभी या किसी भी कार्य को करने का प्रयत्न करना या करने के लिए किसी को उकसाया हो, तो उस पर आपराधिक अभियोग चलाया जा सकता है और साथ ही :

(क) वह जिस परीक्षा का उम्मीदवार है, उसके लिए आयोग द्वारा अयोग्य ठहराया जा सकता है और/या

(ख) स्थाई रूप से या किसी निर्दिष्ट अवधि के लिये अवर्जित किया जा सकता है :

(i) आयोग द्वारा उनकी किसी परीक्षा या चयन के लिए;

(ii) केन्द्र सरकार द्वारा उनके अधीन किसी नियुक्ति के लिए; और

(ग) अगर वह पहले से सरकारी नौकरी में हो तो उचित नियमावली के अनुसार अनुशासनिक कार्रवाई का पात्र होगा.

किंतु शर्त यह है कि इस नियम के अधीन कोई शास्ति तब तक नहीं दी जाएगी जब तक :

(i) उम्मीदवार को इस सम्बन्ध में लिखित अभ्यावेदन, जो वह देना चाहे, प्रस्तुत करने का अवसर उसको न दिया गया हो, और

(ii) उम्मीदवार द्वारा अनुमत समय में प्रस्तुत अभ्यावेदन यदि कोई हो, पर विचार न कर लिया गया हो.

6. आवेदन प्रपत्र भरने की अंतिम तारीख :

ऑनलाइन आवेदन प्रपत्र **15 अक्तूबर, 2012 तक रात्रि 11 बजकर 59 मिनट तक** भरे जा सकते हैं, उसके बाद लिंक निष्क्रिय हो जाएगा.

7. आयोग के साथ पत्र-व्यवहार :

निम्नलिखित मामलों को छोड़कर आयोग अन्य किसी भी मामले में उम्मीदवार के साथ पत्र-व्यवहार नहीं करेगा.

(i) पात्र उम्मीदवारों को परीक्षा आरंभ होने के दो सप्ताह पूर्व एक ई-प्रवेश-प्रमाणपत्र जारी किया जाएगा. ई-प्रवेश प्रमाण पत्र संघ लोक सेवा आयोग की वेबसाइट (**www.upsc.gov.in**) पर उपलब्ध कराया जाएगा जिसे उम्मीदवार डाउनलोड कर सकेंगे. डाक द्वारा कागजी प्रवेश-प्रमाणपत्र जारी नहीं किया जाएगा. ई-प्रवेश-प्रमाण पत्र/ई-प्रवेश पत्र डाउनलोड करने के लिए उम्मीदवार के पास उसके महत्वपूर्ण विवरण अर्थात् आर.आई.डी. तथा जन्म तिथि अथवा अनुक्रमांक (यदि प्राप्त हुआ हो) तथा जन्म तिथि अथवा नाम, पिता का नाम तथा जन्म तिथि उपलब्ध होने चाहिए. **यदि किसी उम्मीदवार को परीक्षा प्रारंभ होने से 2 सप्ताह पूर्व ई-प्रवेश प्रमाण पत्र अथवा उसकी उम्मीदवारी से संबद्ध में कोई अन्य सूचना न मिले तो उसे आयोग से तत्काल संपर्क करना चाहिए.** इस संबंध में जानकारी आयोग परिसर में स्थित सुविधा काउन्टर पर व्यक्तिगत रूप से अथवा दूरभाष संख्या : 011-23385271/011- 23381125/011-23098543 से भी प्राप्त की जा सकती है. **यदि किसी उम्मीदवार से ई-प्रवेश प्रमाण पत्र प्राप्त न होने के संबंध में कोई सूचना आयोग कार्यालय में परीक्षा प्रारंभ होने से कम से कम दो सप्ताह पूर्व तक प्राप्त नहीं होती है तो प्रवेश प्रमाण पत्र प्राप्त न होने के लिये वह स्वयं ही जिम्मेदार होगा.**

सामान्यतः किसी भी उम्मीदवार को परीक्षा में ई-प्रवेश प्रमाणपत्र के बिना बैठने की अनुमति नहीं दी जाएगी. ई-प्रवेश प्रमाण पत्र प्राप्त होने पर सावधानीपूर्वक जांच कर लें तथा किसी प्रकार की त्रुटि होने पर आयोग को तुरंत इसकी जानकारी दें.

उम्मीदवारों को ध्यान रखना चाहिए कि परीक्षा में उनका प्रवेश उनके द्वारा आवेदन प्रपत्र में दी गई जानकारी के आधार पर अनंतिम रहेगा. यह आयोग द्वारा पात्रता की शर्तों के सत्यापन के अध्याधीन होगा.

(ii) **केवल इस तथ्य का कि किसी उम्मीदवार को उक्त परीक्षा के लिए ई-प्रवेश प्रमाण पत्र जारी कर दिया गया है, यह अर्थ नहीं होगा कि आयोग द्वारा उसकी उम्मीदवारी अंतिम रूप से ठीक मान ली गई है या कि उम्मीदवार द्वारा अपने परीक्षा के आवेदन प्रपत्र में की गई प्रविष्टियां आयोग द्वारा सही और ठीक मान ली गई हैं. उम्मीदवार ध्यान रखें कि आयोग उम्मीदवार के लिखित परीक्षा के परिणाम के आधार पर व्यक्तित्व परीक्षण हेतु साक्षात्कार के लिए अर्हता प्राप्त कर लेने के बाद ही उनकी पात्रता की शर्तों का मूल प्रलेखों से सत्यापन का मामला उठाता है, आयोग द्वारा औपचारिक रूप से उम्मीदवारी की पुष्टि कर दिये जाने तक उम्मीदवारी अनंतिम रहेगी.** उक्त परीक्षा हेतु उम्मीदवार के आवेदन प्रपत्र स्वीकार करने तथा वह परीक्षा में प्रवेश का पात्र है या नहीं है इस बारे में आयोग का निर्णय अन्तिम होगा.

उम्मीदवार ध्यान रखें कि ई-प्रवेश प्रमाण पत्र में कहीं-कहीं नाम तकनीकी कारणों से संक्षिप्त रूप में लिखे जा सकते हैं.

(iii) सभी आवेदकों से अनुरोध है कि वे ऑनलाइन आवेदन प्रपत्र भरते समय वैध और सक्रिय ई-मेल आईडी प्रस्तुत करें क्योंकि आयोग परीक्षा प्रक्रिया के विभिन्न चरणों में उनसे संपर्क करने के लिए इलेक्ट्रॉनिक माध्यम का इस्तेमाल कर सकता है.

(iv) उम्मीदवार को इस बात की व्यवस्था अवश्य कर लेनी चाहिए कि उसके आवेदन प्रपत्र में उल्लिखित पते पर भेजे गये पत्र आदि, आवश्यक होने पर, उसको बदले हुए पते पर मिल जाया करें. पते में किसी प्रकार का परिवर्तन होने पर उसकी सूचना आयोग को यथाशीघ्र दी जानी चाहिए. आयोग ऐसे परिवर्तनों पर ध्यान देने का पूरा-पूरा प्रयत्न करता है, किन्तु इस विषय में वह कोई जिम्मेदारी स्वीकार नहीं कर सकता.

(v) उम्मीदवार को आयोग की वेबसाइट से एक से अधिक ई-प्रवेश प्रमाण-पत्र डाउनलोड की स्थिति में, परीक्षा देने के लिए, उनमें से केवल एक ही ई-प्रवेश प्रमाण पत्र का उपयोग करना चाहिए तथा अन्य की जानकारी आयोग के कार्यालय को देनी चाहिए.

(vi) यदि उम्मीदवार को निपटान की चूक के कारण किसी दूसरे उम्मीदवार से संबंधित ई-प्रवेश प्रमाण पत्र मिल जाये तो उसे आयोग को तुरंत सही प्रवेश प्रमाण पत्र जारी करने के निवेदन के साथ सूचित करना चाहिए. उम्मीदवारों को यह नोट कर लेना चाहिए कि उन्हें किसी दूसरे उम्मीदवार को जारी ई-प्रवेश प्रमाण पत्र के आधार पर परीक्षा देने की अनुमति नहीं दी जाएगी.

महत्वपूर्ण : आयोग के साथ सभी पत्र-व्यवहार में नीचे लिखा ब्यौरा अनिवार्य रूप से होना चाहिए.

1. परीक्षा का नाम और वर्ष.
2. रजिस्ट्रेशन आई.डी. (आर.आई.डी.)
3. अनुक्रमांक (यदि प्राप्त हुआ हो).
4. उम्मीदवार का नाम (पूरा तथा स्पष्ट अक्षरों में);
5. आवेदन प्रपत्र में दिया गया डाक का पूरा पता.
6. वैध एवं सक्रिय ई-मेल आई.डी.

विशेष ध्यान दें :

(i) जिन पत्रों में यह ब्यौरा नहीं होगा, संभव है कि उन पर ध्यान न दिया जाए.

(ii) यदि किसी उम्मीदवार से कोई पत्र/संप्रेषण, परीक्षा हो चुकने के बाद, प्राप्त होता है तथा उसमें उसका पूरा नाम, अनुक्रमांक नहीं है तो इस पर ध्यान न देते हुए कोई कार्रवाई नहीं की जाएगी.

(iii) उम्मीदवार की भविष्य के संदर्भों के लिए उनके ऑनलाइन आवेदन पत्र का एक प्रिंट आउट या सॉफ्ट अपने पास रखने का परामर्श दिया जाता है.

8. शारीरिक रूप से अक्षम व्यक्तियों को उनके लिए आरक्षित रिक्तियों पर विचार किए जाने के लिए उनकी अक्षमता चालीस प्रतिशत (40%) या उससे अधिक होनी चाहिए. तथापि ऐसे उम्मीदवारों से निम्नलिखित शारीरिक अपेक्षाओं/क्षमताओं में से एक या अधिक जो संबंधित सेवाओं/पदों में कार्य निष्पादन हेतु आवश्यक हो, पूरी करने की अपेक्षा की जाएगी.

कोड	शारीरिक अपेक्षाएं
एफ (F)	1. हस्तकौशल (अंगुलियों से) द्वारा निष्पादन किए जाने वाले कार्य.
पीपी (PP)	2. खींच कर तथा धक्के द्वारा किए जाने वाले कार्य.
एल (L)	3. उठाकर किए जाने वाले कार्य.
केसी (KC)	4. घुटने के बल बैठकर तथा क्राउचिंग द्वारा किए जाने वाले कार्य.
बी (B)	5. झुककर किए जाने वाले कार्य.
एस (S)	6. बैठकर (बैंच या कुर्सी पर) किए जाने वाले कार्य.
एसटी (ST)	7. खड़े होकर किए जाने वाले कार्य.
डब्ल्यू (W)	8. चलते हुए किए जाने वाले कार्य.
एसई (SE)	9. देखकर किए जाने वाले कार्य.
एच (H)	10. सुनकर/बोलकर किए जाने वाले कार्य.
आरडब्ल्यू (RW)	11. पढ़कर तथा लिखकर किए जाने वाले कार्य.

संबंधित सेवाओं/पदों की अपेक्षाओं के अनुरूप उनके मामलों में कार्यात्मक वर्गीकरण/निम्नलिखित में से एक या अधिक होगा :

कार्यात्मक वर्गीकरण

कोड	कार्य
बीएल (BL)	1. दोनों पैर खराब लेकिन भुजाएं नहीं.
बीए (BA)	2. दोनों भुजाएं खराब क. दुर्बल पहुंच ख. पकड़ की दुर्बलता
बीएलए (BLA)	3. दोनों पैर तथा दोनों भुजाएं खराब
ओएल (OL)	4. एक पैरा खराब (दायां या बायां) क. दुर्बल पहुंच ख. पकड़ की दुर्बलता ग. एटेक्सिक
ओए (OA)	5. एक भुजा खराब (दाईं या बाईं) क. दुर्बल पहुंच ख. पकड़ की दुर्बलता ग. एटेक्सिक
बीएच (BH)	6. सख्त पीठ तथा कूल्हे (बैठ या झुक नहीं सकते)
एमडब्ल्यू (MW)	7. मांसपेशीय दुर्बलता या सीमित शारीरिक सहनशक्ति.
बी (B)	8. नेत्रहीन.
पीबी (PB)	9. आंशिक नेत्रहीन.
डी (D)	10. बधिर.
पीडी (PD)	11. आंशिक बधिर.

9. आवेदन प्रपत्र की वापसी :

आवेदन प्रपत्र प्रस्तुत करने के बाद उम्मीदवारी की वापसी के लिए उम्मीदवार के किसी प्रकार के अनुरोध पर किसी भी परिस्थिति में विचार नहीं किया जाएगा.

10. परीक्षा की योजना, विषयों का स्तर तथा पाठ्यक्रम आदि का विवरण इस नोटिस के **परिशिष्ट-I** में देखा जा सकता है.

(एस.एम. सुन्दरम)
उप सचिव
संघ लोक सेवा आयोग

परिशिष्ट-I
परीक्षा की योजना

1. परीक्षा निम्नलिखित योजना के अनुसार आयोजित की जाएगी :

भाग 1-नीचे पैरा 2 में दिए गए विषयों में लिखित परीक्षा

भाग 2-आयोग द्वारा साक्षात्कार हेतु बुलाए जाने वाले उम्मीदवारों का व्यक्तित्व परीक्षण जो अधिकतम 200 अंकों का है.

2. लिखित परीक्षा निम्न विषयों में ली जाएगी :

	विषय	समय	पूर्णांक
	1	2	3
(1)	सामान्य अंग्रेजी	3 घन्टे	100
(2)	भू-विज्ञान प्रश्न-पत्र-I	3 घन्टे	200
(3)	भू-विज्ञान प्रश्न-पत्र-II	3 घन्टे	200
(4)	भू-विज्ञान प्रश्न-पत्र-III	3 घन्टे	200
(5)	जल भू-विज्ञान	3 घन्टे	200

नोट : वर्ग I और वर्ग II के अंतर्गत पदों के लिए प्रतियोगी उम्मीदवारों को उपर्युक्त सभी विषय लेने होंगे. केवल वर्ग I के अंतर्गत पदों के लिए प्रतियोगी उम्मीदवारों को उपर्युक्त (1) से (4) तक के विषय लेने होंगे और केवल वर्ग II के अंतर्गत पदों के लिए प्रतियोगी उम्मीदवारों को (1) से (3) तथा (5) तक विषय लेने होंगे.

3. सभी विषयों की परीक्षा पूर्णतः परम्परागत (निबंधात्मक) प्रकार की होंगी.

4. सभी प्रश्न-पत्रों का उत्तर अंग्रेजी में देना होगा. प्रश्न-पत्र केवल अंग्रेजी में होंगे.

5. परीक्षा का स्तर और पाठ्यचर्या संलग्न अनुसूची के अनुसार होंगे.

6. उम्मीदवारों को उत्तर अपने हाथ से लिखने चाहिए. उन्हें उत्तर लिखने के लिए किसी लिखने वाले की सहायता की अनुमति नहीं दी जाएगी.

7. आयोग परीक्षा के किसी एक या सभी विषयों के लिए अर्हक अंक निश्चित कर सकता है.

8. यदि किसी उम्मीदवार की लिखावट आसानी से पढ़ने लायक नहीं होगी तो उसे अन्यथा मिलने वाले अंकों में से कुछ अंक काट लिए जाएंगे.

9. सतही ज्ञान के लिए अंक नहीं दिए जाएंगे.

10. परीक्षा के सभी विषयों में इस बात का श्रेय दिया जाएगा कि अभिव्यक्ति कम से कम शब्दों में, क्रमबद्ध प्रभावपूर्ण ढंग से और सही हो.

11. प्रश्न-पत्र में आवश्यक होने पर केवल प्रश्नों में तोल और माप की मीट्रिक प्रणाली से संबंधित प्रश्न ही पूछे जाएंगे.

12. उम्मीदवारों को प्रश्न-पत्रों के उत्तर-पत्रों पर उत्तर लिखते समय भारतीय अंकों के अन्तर्राष्ट्रीय रूप (अर्थात् 1, 2, 3, 4, 5, 6 आदि) का ही प्रयोग करना चाहिए.

13. उम्मीदवारों को इस परीक्षा में अपने साथ बैटरी चालित पॉकेट केलकुलेटर लाने तथा प्रयोग करने की छूट है. परीक्षा हाल में केलकुलेटर उधार लेने अथवा बदलने की अनुमति नहीं है.

14. व्यक्तित्व परीक्षण हेतु साक्षात्कार

उम्मीदवार का साक्षात्कार सक्षम तथा निष्पक्ष प्रेक्षकों के एक बोर्ड द्वारा होगा जिसके समक्ष उम्मीदवार के परिचयवृत का पूर्व अभिलेख होगा. साक्षात्कार का उद्देश्य उम्मीदवार जिस पद के लिए वह प्रतियोगी है उस की उपयुक्तता को आंकना है. व्यक्तित्व परीक्षण में उम्मीदवार की नेतृत्व, पहलशक्ति और बौद्धिक जिज्ञासा, व्यवहार-कौशल और अन्य सामाजिक गुणों, मानसिक और शारीरिक शक्ति, व्यावहारिक अनुप्रयोग की क्षमताओं, चारित्रिक सत्य निष्ठा और स्वयं को कार्य क्षेत्र के अनुकूल बनाने के प्रति अभिरुचि की क्षमताओं के मूल्यांकन की ओर विशेष ध्यान दिया जाएगा.

अनुसूची
स्तर और पाठ्यचर्या

अंग्रेजी के प्रश्न-पत्र और स्तर ऐसा होगा जिसकी अपेक्षा विज्ञान के स्नातक से की जाती है. भू-वैज्ञानिक विषय भारतीय विश्वविद्यालय की एम.एससी. डिग्री स्तर के होंगे और सामान्यतः प्रत्येक विषय में ऐसे प्रश्न रखे जाएंगे जिनमें उम्मीदवारों की विषय की समझ का पता लग सके.

किसी भी विषय की प्रायोगिक परीक्षा नहीं होगी.

(1) सामान्य अंग्रेजी

उम्मीदवारों को अंग्रेजी में एक लघु निबंध लिखना होगा. अन्य प्रश्नों का उद्देश्य उनकी अंग्रेजी समझने की क्षमता तथा शब्दों के सुनिपुण की परीक्षा करना होगा.

(2) भू-विज्ञान-प्रश्न पत्र I

खंड-क : भू आकृति विज्ञान तथा सुदूर संवेदन

मूल सिद्धांत. अपक्षण तथा मृदा वृहत क्षति. प्रक्रियाओं पर जलवायु का प्रभाव. अपरदन चक्र की अवधारणा. नदीय भू-भाग, शुष्क क्षेत्रों, तटीय क्षेत्रों, 'कार्स्ट' भूदृश्य तथा हिमानी श्रृंखलाओं का भू-आकृति विज्ञान भू-आकृति मानचित्रण, ढाल विश्लेषण तथा अप्रवाह द्रोणी विश्लेषण. खनिज पूर्वेक्षण, सिविल इंजीनियरी जल विज्ञान तथा पर्यावरणीय अध्ययनों में भू-आकृति विज्ञान का अनुप्रयोग. स्थलाकृति मानचित्र भारत का भू-आकृति विज्ञान वायवीय फोटोग्राफी तथा फोटोग्राममीति की अवधारणा तथा नियम. उपग्रह सुदूर संवेदन-आंकड़ा उत्पाद तथा उनकी व्याख्या की परिकल्पना तथा सिद्धांत. प्रतिबिम्ब संसाधन. स्थलरूप में सुदूर संवेशन तथा भू-उपयोग मानचित्रण, संरचना मानचित्रण-जल भूविज्ञानीय अध्ययन तथा खनिज अन्वेषण. विश्वव्यापी तथा भारतीय अंतरिक्ष मिशन. भौगोलिक सूचना तंत्र (GIS)-सिद्धांत तथा अनुप्रयोग.

खंड-ख : संरचना भू-विज्ञान

भू वैज्ञानिक मानचित्रण तथा मानचित्रण अंकन, प्रक्षेप आरेख के सिद्धांत. इलास्टिक, प्लास्टिक तथा लसीला (विस्कोसा) सामग्री का बल दबाव-संबंध, विकृत शैलों के दबाव का मानप विरूपण परिस्थितियों में खनिजों तथा शैलों का व्यवहार. वलन भेदन/दरारा रेखण, संधियों तथा भ्रंशों का संरचनात्मक विश्लेषण, अध्यारोपित विरूपण. वलनन तथा भ्रंशन की क्रियाविधि. क्रिस्टलन और विरूपण के बीच समय संबंधता. विषमविन्यास तथा आधार उपरिस्थ संबंध. आग्नेय शैलों अंतर्वेधी तथा लवण गुम्बदों का संरचनात्मक व्यवहार. शैल संविन्यासी परिचय.

खंड-ग : भू-विवर्तनिक

पृथ्वी तथा सौर पद्धति, उल्कापिण्ड तथा अन्य अतिपार्थिव पदार्थ, पृथ्वी का ग्रहीय विकास तथा इसकी आंतरिक संरचना. पृथ्वी की भू-पटल की विषमता. महासागरीय तथा महाद्वीपीय भू-पटल की प्रमुख विवर्तनिक विशेषताएं. महाद्वीपीय विस्थापन-भूवैज्ञानिक तथा भू-भौतिकीय प्रमाण, यांत्रिकी आपत्तियां, वर्तमान स्थिति. मध्यसागरीय कटक गभीरसागर खाईयां, स्थर भूखंड क्षेत्रों तथा पर्वतीय श्रृंखलाओं पर गुरूत्व एवं चुम्बकत्व असंगति. पराचुम्बकत्व. समुद्रतल विस्तारण तथा प्लेट विवर्तनिकी. द्वीप चाप, महासागरीय द्वीप तथा ज्वालामुखी चाप. समस्थिति, पर्वतन तथा महादेशरचना. पृथ्वी की भूकंपीय पट्टियां भूकंपीयता तथा प्लेट संचनल. भारतीय पट्टिका की भू-गतिकी.

खंड-घ : स्तरिकी

नाम पद्धति तथा आधुनिक स्तरिकी नियमावली. विकिरण-समस्थानी तथा भू-वैज्ञानिक काल मापन. भूवैज्ञानिक काल-स्केल. अजीवाश्मी गैर जीवाश्ममय शैलों के सह-संबंध की स्तरिकी प्रक्रियाएं. भारत की कैम्ब्रियन पूर्व स्तरिकी. भारत की पुराजीवी, मध्यजीवी तथा नूतनजीवी शैल समूह की स्तरिकी. गोंडवाना शैल समूह तथा गोंडवाना भूमि. हिमालय का उत्थान तथा शिवालिक द्रोणी का विकास. दक्खिनी ज्वालामुखी. चतुर्थ महाकल्प स्तरिकी. शैल अभिलेख, पुराजलवायु तथा पुरा भूगोल.

खंड-ङ : जीवाश्म विज्ञान

जीवाश्म अभिलेख तथा भूवैज्ञानिक काल स्केल. आकृति विज्ञान तथा जीवाश्म समूहों के काल परिसर. भूवैज्ञानिक काल में मोलस्कों तथा स्तनपायियों में विकासीय परिवर्तन. विकास के सिद्धांत. जैव स्तरिकी सह-संबंध में फोरामिनीफेस तथा एकिनोडर्माट की जातियों तथा वंशों का प्रयोग. शिवालिक कशेरुकी प्राणिजात तथा गोंडवाना वनस्पति, कैम्ब्रियन पूर्व काल में जीवन का प्रमाण. विभिन्न सूक्ष्म जीवाश्म-समूह तथा उनका भारत में वितरण.

(3) भू-विज्ञान-प्रश्न पत्र II

खंड-क : खनिजिकी

आम शैल निर्मित करने वाले सिलीकेट खनिज समूहों के भौतिकीय, रसायनिक तथा क्रिस्टल संरचनात्मक अभिलक्षण. अग्नेय तथा कायांतरी शैलों के आम खनिज, कार्बोनेट, फास्फेट, सल्फाइड तथा हैलाइड समूहों के खनिज.

आम शैल निर्मित करने वाले सिलीकेट खनिजों के प्रकाशीय गुण, एकअक्षीय तथा द्विअक्षीय खनिज. खनिजों के विलनोम कोण, बहुवर्णता, द्विअवर्तन तथा उनके खनिज संघटन से संबंध. यमलित क्रिस्टल/ प्रकीर्णन. 4 स्टेज.

खंड-ख : आग्नेय तथा कायांतरी शैलिकी

आग्नेय शैलों के रूप गठन तथा संरचना सिलीकेट गलित संतुलन, द्विअंगी तथा त्रिअंगी अवस्था आरेख. ग्रेनाइट, बेसाल्ट, एन्डेजाइट तथा क्षरिय शैलों की शेलिकी तथा भूविवर्तनिक विकास. गैब्रो, किम्बरलाइट एनार्थेसाइट तथा कार्बोनेटाइट की शैलिकी/प्राथमिक अल्पसिलिक मैग्मा की उत्पत्ति.

कायांतरी शैलों का गठन तथा संरचना. मृदाश्मिक तथा अशुद्ध कैल्सियमी शैलों का क्षेत्रीय तथा संस्पर्श कायांतरण. खनिज समुच्चय तथा P-T अवस्था. कायांतरिन. अभिक्रियों का प्रायोगिक तथा उष्मागतिक मूल्यांकन. कायांतरण के विभिन्न कोटि तथा संलक्षमी के अभिलक्षण. मैटासेमिटञ्म तथा ग्रेनाइटोभवन, मिग्मेटाइट/प्लेटविवर्तनिकी तथा कायांतरण मंडल. युग्मित कायांतरिक पट्टी.

खंड-ग : अवसादी विज्ञान

अवसादों का जनकं क्षेत्र तथा प्रसंघनन. अवसादी गठन. स्थलजात अवसादों का ढांचा मैट्रिक्स तथा सीमेंट. कण-साइज की परिभाषा, मापन तथा व्याख्या/ हाइड्रोलिक्स के तत्व. प्राथमिक संरचना तथा पुराधारा विश्लेषण. जीव जनित तथा रासायनिक अवसादी संरचना. अवसादी पर्यावरण तथा संलक्षणी, समुद्री, असमुद्री तथा मिश्रित अवसादों का संलक्षणी प्रतिरूपण. विवर्तनिक तथा अवसादन. अवसादी द्रोणियों का वर्गीकरण तथा परिभाषा. भारत के अवसादी द्रोणियां. ह्रकीय अवसाद. भूकंपी तथा अनुक्रमी स्तेरिकी/द्रोणी विश्लेषण का लक्ष्य तथा क्षेत्र. संरचना परिरेखा तथा समस्थूलता मैप.

खंड-घ : भू-रसायन

पृथ्वी, सौर परिवार तथा समष्टि के संबंध में, तत्वों का अंतरिक्षी बाहुल. ग्रहों तथा उल्कापिंडों का संघटन. पृथ्वी की संरचना तथा संघटन और तत्वों का वितरण. सूक्ष्म मात्रिक तत्व. मूल (प्रारंभिक) क्रिस्टल रसायन तथा उष्मागतिकी. समस्थानिक रसायन का परिचय. जलमंडल, जीवमंडल तथा वायुमंडल का भू-रसायन/भूरसायनिक चक्र तथा भूरासायनिक पूर्वेक्षण के सिद्धांत.

खंड-ङ : पर्यावरण भूविज्ञान

संकल्पना तथा सिद्धांत. प्राकृतिक आपदा-निरोधक/ पूर्वोपाय विधियां-बाढ़, भूस्खलन, भूकंप, नदी तथा तटीय अपरदन. मानवोदभवी सक्रियता जैसे नगरीकरण, विवृत खनन तथा अखनन, नदी-घाटी परियोजना, औद्योगिक तथा रेडियोधर्मी अवशिष्ट का निपटान, भौमजल की अतिअधिक निकासी, उर्वरक का उपयोग, अयस्कों, खनन अवशिष्टों तथा फ्लाइ ऐश का क्षेपण का प्रतिघाट निर्धारण/भौमजल का कार्बनिक तथा अकार्बनिक दूषण तथा उनके उपचार की विधियां. मृदा निम्नीकृत तथा उपचार की विधियां. पर्यावरण संरक्षा-भारत में वैधानिक विधियां.

(4) भू-विज्ञान-प्रश्न पत्र III

खंड-क : भारतीय खनिज निक्षेप तथा खनिज अर्थशास्त्र

धात्विक निक्षेपों की भारत में प्राप्ति तथा वितरण-क्षारक धातु, लोहा, मैंगनीज, एलुमिलियम, क्रोमियम, निकल, सोना, चांदी मालिब्डेनम. भारतीय अधात्व निक्षेप-अभ्रक ऐसबेस्टस, बेराईटीज, जिप्सम, ग्रैफाइट, ऐपाटाइट तथा बेरिल. रत्नपाषाण, दुर्गलनीय खनिज, अपघर्षक तथा कोचे उर्वरक, प्रलेप, सिरेमिक तथा सीमेंट उद्योग के उपयोग में आने वाले खनिज. इमारती पत्थर. फासफोरडट निक्षेप. प्लेसर निक्षेप. दुर्लभ मृदा खनिज.

युक्तीय, क्रांतिक तथा अनिवार्य खनिज. खनिज उत्पादन में भारत की स्थिति. खनिज खपत का बदलता पैटर्न. राष्ट्रीय खनिज नीति. खनिज अनुदान नियम. समुद्र खनिज सम्पत्ति तथा समुद्र के नियम.

खंड-ख : अयस्क उत्पत्ति

अयस्क निक्षेप तथा अयस्क खनिज. खनिजन के मैग्मीय प्रक्रम. पार्फिरी, स्कार्न तथा उष्णजलीय खनिजन. तरल अंतर्वेश अध्ययन. (i) अतिमैफिक, मैफिक तथा अधिसिलिक शैलों (ii) हरिताश्म पट्टी (iii) कोमाटाइट, एनार्थोसाइट तथा किम्बरलाइट तथा अंतः सागरीय ज्वालामुखन से संबंधित खनिजन. भूवैज्ञानिक समय आद्योपान्त में मैग्मा-संबंधी खनिजन. स्तररूप तथा स्तरपरिमा अयस्क. अयस्क तथा कायांतरण-कारण और परिणाम संबंध.

खंड-ग : खनिज अन्वेषण.

पृष्ठ तथा अधस्तलीय अन्वेषण की विधियां, आर्थिक खनिजों का पूर्वेक्षण-प्रवेधन, प्रतिचयन, आमापनन. भूभौतिकीय प्रविधि-गुरूत्व, वैद्युत, चुम्बीय, वायुवाहित तथा भूकंपी. भू-आकृतिक तथा सुदूर संवेदन प्रविधि. भूवानस्पतिक तथा भूरासायनिक विधियां. वेधन संलेखन तथा विचलन के लिये सर्वेक्षण.

खंड-घ : ईंधन का भूविज्ञान

कोयले की परिभाषा तथा उत्पत्ति. कोयला युक्त स्तरकी स्तरिकी. कोयला शैल विज्ञान के मूलभूत पीट, लिग्नाइट, बिटुमेनी तथा ऐन्थ्रासाइट कोयला, कोयला के सूक्ष्मदर्शीय संघटक, कोयला-शैल विज्ञान का औद्योगिक अनप्रयोग. भारतीय कोयला निक्षेप. कार्बनी पदार्थों का प्रसंघनन.

प्राकृतिक हाइड्रकार्बनों की उत्पत्ति. अभिगमन तथा फंसना. स्रोत तथा तैलाश्म शैलों के अभिलक्षण. संरचनात्मक, स्तरिक तथा मिश्रित ट्रैप. अन्वेषण की प्रविधियां. भारत के अभितट तथा अपतट पैट्रोलियम द्रोणियों का भौगोलिक तथा भूवैज्ञानिक वितरण.

रेडियोसक्रियता खनिजों की खनिजिकी तथा भूरसायन. रेडियोसक्रियता पहचानने की यन्त्रीय प्रविधियां. खनिजों के निक्षेपों के पूर्वेक्षण तथा आमापन के लिये रेडियोसक्रिय विधियां. भारत में रेडियोसक्रिय खनिजों का वितरण. पेट्रोलियम की खोज में रेडियोसक्रिय विधियां-कूप संलेखन प्रविधि. नाभिकीय अपरदन निपटान- भूवैज्ञानिक बाधायें.

खंड-ङ : इंजीनियरी भूविज्ञान

शैलों तथा मृदाओं के बलकृत गुणधर्म. नदी-घाटी परियोजनाओं में भूवैज्ञानिक अन्वेषण-बोध तथा जलाशय. सुरंगे-प्रकार, विधियां तथा समस्याएं, सेतु-प्रकार तथा आधारी समस्याएं. तटरेखा इंजीनियरी. भूस्खलन-वर्गीकरण, कारण, निवारण तथा पुनर्वास. कंक्रीट पुंज-स्रोत क्षार-पुंज प्रतिक्रिया. अभूकंपी आयोजना-भारत में भूकंपनीयता तथा भूकंप प्रतिरोधी संरचनायें. इंजीनियरी परियोजनाओं में भौमजल की समस्याएं. भारत के मुख्य परियोजनाओं के भू-तकनीकी केस अध्ययन.

(5) जल भूविज्ञान

खंड-क : जल का उद्भव, प्राप्ति तथा वितरण

जल का उद्भव : उल्का आकाशी, मैग्मीय तथा समुद्रीजल.

जलीय चक्र : अवक्षेपण, प्रवाह, अंतःस्यंदन तथा वाष्पोत्सर्जन. जलारेख. उपपृष्ठीयगति तथा भूजल का उर्ध्व वितरण. झरने. जलभरों का वर्गीकरण अपवाह द्रोणी तथा भूजल द्रोणी की अवधारणा शेलों के जल विज्ञानीय गुणधर्म-आपक्षिक पराभव, आपक्षिक धारण, संरंधता द्रव चालकता, पारगम्यता, भंडारण गुणांक/भीमजलस्तर की घटाव बढ़ाव. उद्भावक कारक, वायुदबीय अवधारणा और ज्वारीय क्षमता. जल स्तर समोच्च रेखा मानचित्र. जलधारी लक्षणों के संदर्भ में शेलों का वर्गीकरण-जल स्तरिकी एकाई-भारत के भूजल क्षेत्र. भारत के शुष्क प्रदेशों का भू-जल विज्ञान. आर्द क्षेत्र.

खंड-ख : कूप द्रवचालित तथा कूप डिजाइन

भूजल प्रवाह का सिद्धांत, डार्सी का नियम तथा उसके अनुप्रयोग, प्रयोगशाला तथा क्षेत्र में पारगम्यता का निर्धारण. कूपों के प्रकार कूपों की ड्रिलिंग पद्धतियां, संरचना डिजाइन, विकास तथा अनुरक्षण, आपेक्षिक क्षमता तथा उसका निर्धारण. अपरिरुद्ध परिरुद्ध अस्थिर स्थिर तथा त्रिन्य प्रवाह परिस्थितियां. भूजल विज्ञानीय सीमाओं के लिए पम्प परीक्षण-पद्धतियां आंकड़ों का विश्लेषण तथा व्याख्या. थीम, थीस जैकब तथा वाल्टन पद्धतियां अपनाते हुए जलभरों के पैरामीटरों का मूल्यांकन. भू-जल प्रतिदर्श-अंकीय तथा विद्युत मॉडल.

खंड-ग : भू-जल रसायन विज्ञान

भू जल गुणवत्ता-जल के भौतिक तथा रासायनिक गुणधर्म विभिन्न प्रयोगों के लिए गुणवत्ता मानदंड-जल गुणवत्ता आंकड़ों की ग्राफीय प्रस्तुति-भारत के विभिन्न क्षेत्रों में भूजल की गुणवत्ता-आर्सेनिक तथा फ्लोराइड की समस्याएं-तटीय तथा अन्य जलभरों में खारे पानी का अतिक्रमण और उसके रोधक उपाय. जल भू विज्ञानीय अध्ययनों में विकिरण समस्थानन (रेडियोआइसटॉप) भूजल संदूषण.

खंड-घ : भूजल अन्वेषण

भूविज्ञानी-अश्वविज्ञानीय तथा संरचनात्मक मानचित्रण, फेक्चर ट्रेस विश्लेषण. जलभूविज्ञानीय-जल विज्ञानीय गुणों के संदर्भ में अश्वविज्ञानीय वर्गीकरण. भूविज्ञानीय संरचनाओं के संदर्भ में द्रवचालित निरन्तरता. झरनों की स्थिति-सुदूर संवेदी-विभिन्न उपग्रह प्रेषणों के विभिन्न प्रभावों के उपयोग द्वारा भू-भाग का जल-भू आकृति मानचित्र. रेखीय मानचित्रण. उपग्रह प्रभावों द्वारा सतही भू-जल सामर्थ्य क्षेत्र मानचित्रण. पृष्ठीय भू-भौतिकी पद्धतियां-भूकंपीय, घनत्वीय, भू विद्युतीय तथा चुम्बकीय. उपपृष्ठीय भू भौतिकी पद्धतियां-जलभरों के चित्रण तथा जलगुणवत्ता के आकलन के लिए वृक्रा गणन.

खंड-ङ : भू जल की समस्याएं तथा प्रबंध

स्थापना कार्य, खनन, नहरें तथा सुरंगों से संबंधित भूजल की समस्याएं. अवशोषण तथा भू जल खनन की समस्याएं. शहरी क्षेत्रों में भू जल विकास तथा वर्षा जल उपज. कृत्रिम पुर्नभरण पद्धतियां. शुष्क प्रदेशों में भूजल की समस्याएं और सुधारक उपाय. भू जल संतुलन और आंकलन की पद्धतियां. भू जल विधीन संपोषण मानदंड तथा भू जल स्रोतों के नवीनीकृत तथा अनवीनीकृत प्रबंध.

परिशिष्ट-II

ऑनलाइन आवेदन के लिए अनुदेश

उम्मीदवारों को वेबसाइट **www.upsconline.nic.in** का उपयोग कर ऑनलाइन आवेदन करना अपेक्षित होगा. ऑनलाइन आवेदन प्रपत्र की प्रणाली की प्रमुख विशेषताएं निम्नानुसार हैं:-

- ऑन लाइन आवेदनों को भरने के लिए विस्तृत अनुदेश उपर्युक्त वेबसाइट पर उपलब्ध हैं.
- उम्मीदवारों को ड्रॉप डाउन मेनू के माध्यम से उपर्युक्त साइट में उपलब्ध अनुदेशों के अनुसार दो चरणों अर्थात् भाग-I और भाग-II में निहित ऑन लाइन आवेदन प्रपत्र को पूरा करना अपेक्षित होगा.
- उम्मीदवारों को **200/- रु. (केवल दो सौ रुपये)** के शुल्क (अजा/अजजा/ महिला/शारीरिक रूप से अक्षम उम्मीदवारों को छोड़कर जिन्हें शुल्क के भुगतान से छूट प्राप्त है), या तो भारतीय स्टेट बैंक की किसी शाखा में नकद जमा करके या भारतीय स्टेट बैंक/स्टेट बैंक ऑफ बीकानेर एण्ड जयपुर/स्टेट बैंक ऑफ हैदराबाद/स्टेट बैंक ऑफ मैसूर/स्टेट बैंक ऑफ पटियाला/स्टेट बैंक ऑफ त्रावणकोर की नेट बैंकिंग सुविधा का उपयोग करके या वीजा/मास्टर क्रेडिट/डेबिट कार्ड का उपयोग करके भुगतान करना अपेक्षित है.
- ऑन लाइन आवेदन भरना आरंभ करने से पहले उम्मीदवार को अपना फोटोग्राफ और हस्ताक्षर जेपीजी प्रारूप में विधिवत रूप से इस प्रकार स्कैन करना है कि प्रत्येक 40 केबी से अधिक नहीं हो, लेकिन फोटोग्राफ के लिए आकार में 3 केबी से कम न हो और हस्ताक्षर के लिए 1 केबी से कम न हो.
- ऑन लाइन आवेदन (भाग-I और भाग-II) को **दिनांक 15.09.2012 से 15.10.2012 रात्रि 11.59 बजे** तक भरा जा सकता है जिसके पश्चात् लिंक निरूपयोज्य होगा.
- आवेदकों को एक से अधिक आवेदन पत्र नहीं भेजने चाहिए, तथापि यदि किसी अपरिहार्य परिस्थितिवश कोई आवेदक एक से अधिक आवेदन पत्र भरता है तो वह यह सुनिश्चित कर लें कि उच्च आरआईडी वाला आवेदन पत्र हर तरह से पूर्ण है.
- एक से अधिक आवेदन पत्रों के मामले में, आयोग द्वारा उच्च आरआईडी वाले आवेदन पत्र पर ही विचार किया जाएगा और एक आरआईडी के लिए अदा किए गए शुल्क का समायोजन किसी अन्य आरआईडी के लिए नहीं किया जाएगा.
- **आवेदक अपना आवेदन प्रपत्र भरते समय यह सुनिश्चित करें कि वे अपना वैध और सक्रिय ई-मेल आईडी प्रस्तुत कर रहे हैं क्योंकि आयोग परीक्षा प्रक्रिया के विभिन्न चरणों में उनसे संपर्क करने के लिए इलेक्ट्रॉनिक माध्यम का इस्तेमाल कर सकता है.**
- **आवेदकों को सलाह दी जाती है कि वे अपने ई-मेल लगातार देखते रहें तथा यह सुनिश्चित करें कि @nic.in से समाप्त होने वाले ई-मेल पते उनके इनबॉक्स फोल्डर की ओर निर्देशित हैं तथा उनके एसपीएएम (SPAM) फोल्डर या अन्य किसी फोल्डर की ओर नहीं.**
- **उम्मीदवारों को सख्त सलाह दी जाती है कि ऑनलाइन आवेदन की अंतिम तारीख का इंतजार किए बिना समय सीमा के भीतर ऑनलाइन आवेदन करें.**

परिशिष्ट-III

परम्परागत प्रकार के प्रश्न पत्रों के लिए विशेष अनुदेश

1. परीक्षा हाल में ले जाने वाली वस्तुएं :

केवल "नान-प्रोग्रामएबल" प्रकार की बैटरी चालित पाकेट कैलकुलेटर, गणितीय, इंजीनियरी, आरेखन उपकरण जिसमें एक ऐसा चपटा पैमाना, जिसके किनारे पर इंच तथा इंच के दशांश तथा सेंटीमीटर और मिलीमीटर के निशान दिए हों, एक स्लाइडरूल, सैट स्क्वायर, एक प्रोटेक्टर और परकार का एक सैट, पेंसिलें, रंगीन पेंसिलें, मानचित्र के कलम, रबड़, टी-स्कवायर तथा ड्राइंग बोर्ड यथा अपेक्षित प्रयोग के लिए साथ लाने चाहिए. उम्मीदवारों को प्रयोग के लिए परीक्षा हाल में किसी भी प्रकार की सारणी अथवा चार्ट साथ लाने की अनुमति नहीं है.

जहां परीक्षा आयोजित की जा रही है, उस परिसर के अंदर मोबाइल फोन, पेजर्स अथवा अन्य संचार यंत्रों की अनुमति नहीं है. इन अनुदेशों का कोई अतिलंघन होने पर भविष्य में आयोजित की जाने वाली परीक्षाओं में प्रतिबंध सहित अनुशासनिक कार्रवाई की जाएगी.

उम्मीदवारों को उनके हित में सलाह दी जाती है कि परीक्षा स्थल पर मोबाइल फोन/पेजर्स सहित कोई प्रतिबंधित सामग्री न लाएं क्योंकि इनकी सुरक्षा की व्यवस्था को सुनिश्चित नहीं किया जा सकता.

2. संघ लोक सेवा आयोग द्वारा उपलब्ध कराई जाने वाली सारणियां :

किसी प्रश्न पत्र में प्रश्नों के उत्तर देने के लिए आवश्यक समझे जाने पर आयोग निम्नलिखित वस्तुएं केवल संदर्भ के लिए उपलब्ध कराएगा :-

(i) गणितीय, भौतिकीय, रासायनिक तथा इंजीनियरी संबंधी सारणियां (लघु गणक सारणी सहित)

(ii) भाप (स्टीम) सारणियां-800° सेंटीग्रेड तक तापमान तथा 500 के.जी.एफ. सेंटी मी. वर्ग तक के दबाव के लिए प्रशमन (मोलियर) आरेखों (डायग्राम) सहित.

(iii) भारत की राष्ट्रीय भवन संहिता 1970 अथवा 1983 ग्रुप 2 भाग 6.

(iv) प्रश्न पत्र में प्रश्नों के उत्तर देने के लिए उम्मीदवार द्वारा आवश्यक समझी जाने वाली कोई अन्य विशेष वस्तु. परीक्षा समाप्त होने पर उपर्युक्त वस्तुएं निरीक्षक को लौटा दें.

3. उत्तर अपने हाथ से लिखना :

उत्तरों को स्याही से अपने हाथ से लिखें. पेंसिल का प्रयोग मानचित्र, गणितीय आरेख अथवा कच्चे कार्य के लिए किया जा सकता है.

4. उत्तर-पुस्तिका की जांच :

उम्मीदवार को प्रयोग में लाई गई प्रत्येक उत्तर-पुस्तिका पर इस प्रयोजन के लिए दिए गए स्थान में केवल अपना अनुक्रमांक लिखना चाहिए (अपना नाम नहीं). उत्तर-पुस्तिका में लिखना शुरू करने से पहले कृपया यह देख लें कि वह पूरी है. यदि किसी उत्तर-पुस्तिका के पन्ने निकले हुए हों, तो उसे बदलवा लेना चाहिए. उत्तर-पुस्तिका में से किसी पृष्ठ को फाड़ें नहीं. यदि कोई उम्मीदवार एक से अधिक उत्तर-पुस्तिका का प्रयोग करता है तो उसे प्रथम उत्तर-पुस्तिका के मुखपृष्ठ पर कुल प्रयोग की गई उत्तर-पुस्तिकाओं की संख्या अंकित कर देनी चाहिए. उम्मीदवारों को उत्तरों के बीच में खाली जगह नहीं छोड़नी चाहिए. यदि ऐसे स्थान छोड़े गए हों तो उम्मीदवार उसे काट दें.

5. निर्धारित संख्या से अधिक दिए गए उत्तरों का मूल्यांकन नहीं किया जाएगा :

उम्मीदवार को प्रत्येक प्रश्न पत्र पर दिए गए निर्देशों का सख्ती से पालन करते हुए प्रश्नों के उत्तर देने चाहिए. यदि निर्धारित संख्या से अधिक प्रश्नों के उत्तर दे दिए जाते हैं तो केवल निर्धारित संख्या तक पहले जिन प्रश्नों के उत्तर दिए गए होंगे उनका ही मूल्यांकन किया जाएगा. शेष का मूल्यांकन नहीं किया जाएगा.

6. उम्मीदवार को ग्राफ/सार लेखन वाले प्रश्नों के उत्तर ग्राफ शीट/सार लेखन शीट पर ही देने होंगे जो उन्हें निरीक्षक से मांगने पर उपलब्ध कराए जाएंगे. उम्मीदवार को सभी प्रयुक्त या अप्रयुक्त खुले पत्रक जैसे सार लेखन पत्रक, आरेख पत्र, ग्राफ पत्रक आदि को, जो उसे प्रश्नों के उत्तर देने के लिए दिए जाएं, अपनी उत्तर पुस्तिका में रखकर तथा अतिरिक्त उत्तर पुस्तिका(एं) यदि कोई हों, के साथ मजबूती से बांध दें. उम्मीदवार यदि इन अनुदेशों का पालन नहीं करते हैं तो उन्हें दंड दिया जाएगा. उम्मीदवार अपना अनुक्रमांक इन शीटों पर न लिखें.

7. अनुचित तरीकों की सख्ती से मनाही :

उम्मीदवार किसी भी अन्य उम्मीदवार के पेपरों से न तो नकल करेगा न ही अपने पेपरों से नकल करवाएगा, न ही किसी अन्य तरह की अनियमित सहायता देगा, न ही सहायता देने का प्रयास करेगा, न ही सहायता प्राप्त करेगा और न ही प्राप्त करने का प्रयास करेगा. प्रत्येक उम्मीदवार की यह जिम्मेदारी होगी कि वह यह सुनिश्चित करे कि उसके उत्तरों की नकल किसी अन्य उम्मीदवार ने नहीं की है. यह सुनिश्चित न कर पाने की स्थिति में अनुचित तरीके अपनाने के लिए आयोग द्वारा दंडित किए जाने का भागी होगा.

8. परीक्षा भवन के आचरण :

उम्मीदवार किसी भी प्रकार का दुर्व्यवहार न करें जैसे कि परीक्षा हाल में अव्यवस्था फैलाना या परीक्षा के संचालन के लिए तैनात स्टाफ को परेशान करना या उन्हें शारीरिक क्षति पहुंचाना. यदि आप ऐसा करते हैं तो आपको कठोर दंड दिया जाएगा.

9. कृपया परीक्षा हाल में उपलब्ध कराए गए प्रश्न पत्र तथा उत्तर पुस्तिका में दिए गए अनुदेशों को पढ़ें तथा उनका अनुपालन करें.

डीएवीपी 55104/14/0032/1213 **रो.स. 24/123**